न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 57 / 2023

उनवान

शिवराज पुत्र भैरूलाल रेगर निवासी रासेड़ तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी

बनाम

1– भोजा पुत्र देबी गुर्जर निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा
2– सुरेश पुत्र नाना गुर्जर निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा
3– किशन पुत्र उदा गुर्जर निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा
4– नाना पुत्र ज्वारा गुर्जर निवासी नौगांवा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– 1– श्री अक्षयराज रेबारी :– अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी :– अधिवक्ता विपक्षी रामस्वरूप

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **06/09/2023**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **नोगांवा पटवार हल्का ढीकोला** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 32 रकबा 0.78 है0, 32 / 754 दिनांक 0.30 है0** कुल किता **2** रकबा **1.08** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। जो प्रार्थी से आये दिन आराजियात की हकाई, बुवाई, फसल की कटाई करते समय सीमा संबंधी विवाद करते है और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहते है। इस प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.06.2023 को पत्रावली पेश हुई। **विपक्षीगण संख्या 1, 2** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 3, 4 के सम्मन अदम तामिल लौटे। अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा प्रार्थी रामस्वरूप पिता धन्ना जगलिया(बावरी) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तिर्गत आदेश 10(2) व धारा 151 जा0दी0 के मय अधिकार के पत्र के प्रस्तुत किया। प्रकरण विपक्षीगण सं0 3, 4 की तलबी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10(2) व धारा 151 जा0दी0 के जवाब / बहस के नियत किया गया। दिनांक 20.06.2023 को अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 22.08.2023 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10(2) व धारा 151 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधी बहस करनी चाही जिससे बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी। बहस में अभिभाषक प्रार्थी(विपक्षी) ने बताया कि पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा बताये गये आराजी नम्बर 32 व 32 / 754 मेरे भौतिक आधिपत्य में होकर मेरे कब्जे काश्त में है। उक्त आराजी के पुराने नम्बर मेरे पिता के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में थी जिससे यह मेरी पुश्तेनी आराजियात है। और मेरे पिताजी के खातेदारी से आ रही है। सेटलमेंट के दौरान व राजस्व कर्मचारियों की गलती से यह आराजी प्रार्थी के नाम चली गयी प्रार्थी शिवराज खातेदार काश्तकार नहीं है। मेरे पिता द्वारा भूमि का बिकाव करते समय गलती से बिकावनामा में गलत नम्बर लिख दिये थे। लेकिन वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी शिवराज पत्थरगढी कराने का भी अधिकारी नहीं है। मैं आवश्यक पक्षकार हूं। इस प्रार्थना पत्र में मुझे पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रकरण में मुझ प्रार्थी को पक्षकार के रूप में संयोजित कराने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक विपक्षी(प्रार्थी) ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी(प्रार्थी) प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है। जिस हेतु जामबंदी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी रामस्वरूप को प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रार्थी रामस्वरूप के पिता द्वारा उक्त भूमि पूर्व में ही बेचान कर दी गयी जिसका नामामन्तरकरण भी खोला जाकर उक्त भूमि आगे बेचान कर दी गयी। जिससे प्रार्थी रामस्वरूप का कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है। भूमि का बेचान 1988 में प्रार्थी रामस्वरूप के पिता द्वारा कर दिया गया था। तब से आज तक प्रार्थी रामस्वरूप द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई वाद किसी न्यायालय क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। अब वह भी मियाद बाहर हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थी रामस्वरूप को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जावे। प्रकरण वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10(2) व धारा 151 जा0दी0 के आदेश के नियत किया गया। दिनांक 06.09.2023 को दिनांक 22.08.2023 को सुनी गयी बहस पर मनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा राज.

प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम नोगांवा पटवार हल्का ढीकोला संवत 2075 से 2078 त**क का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी में** दर्ज है। विपक्षी द्वारा साबिक जमाबंदी संवत् 2039–42 की फोटोप्रति, रजिस्ट्री की फोटोप्रति तथा इकरारनामा की फोटोप्रति आदि दस्तावेत प्रस्तुत किये। जिससे किसी भी दस्तावेज से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात रामस्वरूप का कब्जा होना साबित नहीं होता है। प्रार्थी रामस्वरूप के पिता द्वारा भूमि का बेचान किया गया जिसके नये नम्बर के संबंध में कोई दस्तावेज रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गये है। भूमि पर कब्जे के संबंध में विवाद का निर्णय वाद में होगा। वर्तमान प्रार्थना पत्र पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसमें वर्णित आराजियात के पड़ौसी जिनसे सीमा विवाद हो को ही पक्षकार बनाया जाता है जो प्रार्थी द्वारा बनाये गये है। प्रार्थी रामस्वरूप उक्त आराजियात पर हक हिस्से एवं कब्जे के संबंध में अलग से वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10(2) व धारा 151 जा0दी0 अस्वीकार किया जाता है।

विपक्षीगण सं0 3, 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रेाप की जाती है। मूल प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी आराजियात पर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। जमाबन्दी **ग्राम नोगांवा पटवार हल्का ढीकोला संवत 2075 से 2078 त**क का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी में** दर्ज है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **नोगांवा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **2 रकबा 1.08 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **06/09/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा